राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 946वी बैठक दिनांक 17.04.2026 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 946वी बैठक दिनांक 17.04.2026 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. अमनबीर सिंह बैंस, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/1012/2024	1(a)	छतरपुर	ग्रेनाईट खदान	समामेलन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित नहीं	ADS जारी किया जाये।
2.	P2/343/2024	1(a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
3.	P2/331/2024	1(a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
4.	P2/329/2024	1(a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
5.	P2/344/2024	1(a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
6.	P2/1277/2025	1(a)	कटनी	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
7.	P2/1259/2025	1(a)	श्योपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
8.	10568/2023	1(a)	बड़वानी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
9.	P2/1871/2025	1(a)	सीधी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
10.	P2/2029/2025	1(a)	मुरैना	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
11.	9993/2023	1(a)	ग्वालियर	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
12.	9994/2023	1(a)	ग्वालियर	आयरन ओर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

13.	P2/844/2024	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
14.	P2/330/2024	1(a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
15.	P2/1439/2025	1(a)	टीकमगढ़	पायरोफायलाईट एवं डायस्पोर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
16.	P2/2303/2026	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
17.	P2/2301/2026	1(a)	बुरहानपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
18.	8380/2021	5(g)	बड़वानी	Fule Ethanol	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
19.	P2/1695/2025	7(da)	धार	Bio Medical Waste	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
20.	P2/2038/2025	1(a)	जबलपुर	लेटेराईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
21.	P2/2146/2025	1(a)	रतलाम	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
22.	P2/1778/2025	1(a)	सिवनी	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
23.	P2/1581/2025	1(a)	इन्दौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 946वी बैठक दिनांक 17.04.2026 का कार्यवाही विवरण

1. **Proposal No. SIA/MP/MIN/521377/2025, Case No. P2/1012/2024 Prior Environment Clearance for Granite Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 24.5 ha., for Production Capacity of 36,688 cum per annum, at Khasra No. 587, Village Madwa, Tehsil Lovekushnagar & District Chhatarpur (M.P.) by M/s Kisan Mineral Private Ltd, Partner Shri Vinod Kumar Khedia, R/o Khedia Bhawan, P.O. Bijuri District- Anuppur (MP) 484440.**

प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 870वी बैठक दिनांक 17.01.2026 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

.... The consultant further informed that the total lease area shall remain unchange due to amalgamation but mining area shall be increased due to distruction of common barrier zone area of the 06 mines. In view of above facts in the larger interest of the Environment the committee is of the opinion to stand by its recommendation made in 853th SEAC meeting dated 16/12/2026 and hence case is not recommended for EC amalgamation..

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण क्र. 1012 में संचालक खनिकर्म द्वारा अपने आदेश पृष्ठ. क्र. 1039-40 दिनांक 25.01.2020 के द्वारा स्वीकृत खनि पट्टों 1. ग्राम मडवा तहसील लवकुशनगर के खसरा क्रमांक 587 के भाग रकवा 0.943 हे., 2- ग्राम मडवा तहसील लवकुशनगर के खसरा क्रमांक 587 के भाग रकवा 0.943 हे., 3- ग्राम मडवा तहसील लवकुशनगर के खसरा क्रमांक 587 के भाग रकवा 2.320 हे., 4- ग्राम मडवा तहसील लवकुशनगर के खसरा क्रमांक 587 के भाग रकवा 5794 हे., 5- ग्राम मडवा तहसील लवकुशनगर के खसरा क्रमांक 587 के भाग रकवा 9.500 हे. एवं ग्राम मडवा तहसील लवकुशनगर के खसरा क्रमांक 587 के भाग रकवा 5.00 हे. को समामेलन करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। PP द्वारा उक्त समामेलित (Amalgamated) क्षेत्र के लिए EC हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें पौध रोपण आदि बिंदुओं को लेकर SEACने EC की अनुशंसा नहीं की है।

प्रकरण आज SEIAA की 946वीं बैठक में प्रस्तुत हुआ। SEIAA ने पूर्ण विचारोपरांत निर्णय लिया कि पर्यावरण अनुमति में पौधरोपण का विषय महत्वपूर्ण है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलेक्टर / म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निम्नानुसार जानकारी/प्रतिवेदन अभिप्रामणित करवाकर प्रस्तुत किया जावे :-

(i) यदि सभी Amalgamated खदानों के Barrier Zone में पृथक-पृथक पौधरोपण किया जाता है तो सभी 6 खदानों में मिला कर कितने पौधे रोपित होते हैं।

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(ii) समामेलन के पश्चात पूरे क्षेत्र 24.5 हे. के Barrier Zone में कितने पौधे रोपित हो सकते हैं।

(iii) यदि बिंदु क्र. (ii) में पौधों की संख्या बिंदु क्र. (i) से कम होती है, तो बिंदु क्र. (i) के बराबर या अधिक पौधे रोपित करने के लिए PP का शपथ पत्र एवं पौध रोपण की योजना भी प्रस्तुत की जावे।

(iv) SEAC द्वारा उठाए गए अन्य बिंदुओं के संबंध में PP का पालन प्रतिवेदन एवं शेष बचे हुए बिंदुओं के पालन के लिए शपथ पत्र प्रतिवेदन में प्राप्त किया जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त बिन्दु क्रमांक i व iv तक की जानकारी कलेक्टर/म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अभिप्रमाणित करवाकर 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

2. Proposal No.SIA/MP/MIN/520963/2025, Case No. P2/343/2024Prior Environment Clearance forSand Mine in an area of 7.780 Hectare for Production Capacity of 46680 cum per annum, at Khasra No. 1567in Village - Goram 1472, Tehsil - Mehgaon, District - Bhind (MP) by Shri Dinesh Kumar Pathak, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 872वी बैठक दिनांक 27.02.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ...... Committee decided that this case cannot be recommended for grant of EC in lack of Replenishment Study. Also mines falls under cluster and it requires effective management plan as per provisions of EIA Notification 2006, paragraph 7 (III) (b).

In line of compliance of the Hon'ble Supreme Court Order it is proposed that state government must get compliance done wrt replenishment study from any reputed government institutions viz. IITs, ISM Dhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc."

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC ने EC की अनुशंसा नहीं की है। SEAC के अनुसार Replenishment Study अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने Replenishment Study की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में SEIAA के समक्ष EC Reject करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण SEAC को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि Replenishment Study में जो खामिया है, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं SEIAA को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान SEAC द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3. **Proposal No.SIA/MP/MIN/520812/2025, Case No. P2/331/2024Prior Environment Clearance forSand Mine in an area of 19.000 Hectare for Production Capacity of 126500 cum per annum, at Khasra No.- 546, 850, in Village - Khairoli Tehsil - Mehgaon, District - Bhind (MP) by Shri Dinesh Kumar Pathak, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 872वी बैठक दिनांक 27.02.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ..... Committee decided that this case cannot be recommended for grant of EC in lack of Replenishment Study. Also mines falls under cluster and it requires effective management plan as per provisions of EIA Notification 2006, paragraph 7 (III) (b).

In line of compliance of the Hon'ble Supreme Court Order it is proposed that state government must get compliance done wrt replenishment study from any reputed government institutions viz. IITs, ISM Dhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc."

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC ने EC की अनुशंसा नहीं की है। SEAC के अनुसार Replenishment Study अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने Replenishment Study की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में SEIAA के समक्ष EC Reject करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण SEAC को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि Replenishment Study में जो खामिया है, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं SEIAA को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान SEAC द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिह चौहान) अध्यक्ष

4. Proposal No.SIA/MP/MIN/520689/2025, Case No. P2/329/2024Prior Environment Clearance forSand Mine in an area of 2.970 Hectare for Production Capacity of 36000 cum per annum, at khasra No. 545, in Village - Bachhrauli, Tehsil - Mehgaon, District - Bhind (MP) by Shri Dinesh Kumar Pathak, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 872वी बैठक दिनांक 27.02.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :-

" ...... Committee decided that this case cannot be recommended for grant of EC in lack of Replenishment Study. Also mines falls under cluster and it requires effective management plan as per provisions of EIA Notification 2006, paragraph 7 (III) (b).

In line of compliance of the Hon'ble Supreme Court Order it is proposed that state government must get compliance done wrt replenishment study from any reputed government institutions viz. IITs, ISM Dhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc."

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC ने EC की अनुशंसा नहीं की है। SEAC के अनुसार Replenishment Study अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने Replenishment Study की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में SEIAA के समक्ष EC Reject करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण SEAC को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि Replenishment Study में जो खामिया है, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं SEIAA को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान SEAC द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

5. **Proposal No.SIA/MP/MIN/472965/2024, Case No. P2/344/2024Prior Environment Clearance forSand Mine in an area of13.000 Hectare for Production Capacity of Maximum Production - 117000 cum per annum, at Khasra No.- 284, 515, in Village - Barethikhurd-1, Tehsil - Mehgaon, District - Bhind (MP) by Shri Dinesh Kumar Pathak, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 872वी बैठक दिनांक 27.02.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

*"...... Committee decided that this case **cannot be recommended for grant of EC** in lack of Replenishment Study. Also mines falls under cluster and it requires effective management plan as per provisions of EIA Notification 2006, paragraph 7 (III) (b).*

In line of compliance of the Hon'ble Supreme Court Order it is proposed that state government must get compliance done wrt replenishment study from any reputed government institutions viz. IITs, ISM Dhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc."

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC ने EC की अनुशंसा नहीं की है। SEAC के अनुसार Replenishment Study अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने Replenishment Study की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में SEIAA के समक्ष EC Reject करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण SEAC को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि Replenishment Study में जो खामिया है, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं SEIAA को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान SEAC द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

6. **Proposal No.SIA/MP/MIN/551155/2025, Case No. P2/1277/2025Prior Environment Clearance for Dolomite Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 3.830 ha., for Production Capacity of 35006 Tons per Annum, at Khasra No. 119/4/2, 118/1/2, 118/1/3, 118/3 in Village- Amgawan, Tehsil- Badwara, District-Katni (M. P.) by Shri Krishna Sikarwar, Partner, M/S Krishna V.N. Minerals, R/O Goswami Road, Ganeshpura Morena (M. P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **872वी बैठक दिनांक 27.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 872वी बैठक दिनांक 27.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 12480-81 दिनांक 18. 09.2023 के माध्यम से 30 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 17.09.2053 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से **पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यो को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(अमनबीर सिंह बैंस)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

7. **Proposal No.SIA/MP/MIN/563488/2025, Case No. P2/1259/2025Prior Environmental Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 3.80 Ha., for Production Capacity of M.Sand-1,50,000 M3/year, Boulder-10,000 M3/year & Gitty-40,000 M3/year, at Khasra No.- 232/1, at Village- Salmanya, Tehsil-Baroda &DistrictSheopur (M.P.) by Shri Vishnu Singhal, Partner, M/s R S Stone Crusher, R/O Near Bachpan School, By Pass Road, Sheopur District-Sheopur (M.P.) – 476337**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **872वी बैठक दिनांक** 27.02.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 872वी बैठक दिनांक 27.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर द्वारा पत्र क्र. 1469 दिनांक 30.01. 2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 29.01.2035 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यो को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावकं द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

8. **Proposal No.SIA/MP/MIN/535441/2025, Case No. 10568/2023Prior Environmental Clearance for Stone (Gitti) Quarry, in an area of 3.99 ha., for production capacity of 10000 cum per year, at Khasra No. 390/7, Village-Borlay, Tehsil-Barwani, District-Barwani (MP) by Shri Kapil Patidar, Owner, R/o Village-Borlay, TehsilBarwani, District-Barwani (MP)-451551**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 872वी बैठक दिनांक 27.02.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ...... In light of two consecutive absent by PP /EnvConsultant in the SEAC meetings dated 26/08/2025 & dated 27/02/2026 and no communication in this regards. Committee observed that the PP & Env. Consultant are not willing to proceed for the EC application, hence, case can not be recommended for grant of EC."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 872वी बैठक दिनांक 27.02.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

9. **Proposal No.SIA/MP/MIN/543423/2025, Case No. P2/1871/2025Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area 1.5 ha., for production capacity of 33866 cum per annum, at Khasra No. 116/2/2, Village- Amhawa Tehsil- Gopadbanas District Sidhi (M.P.) by Shri Anil Singh Chauhan, Project Proponent, H.NO. 2/98, Dadari Khurd, Tehsil - Sihawal, District - Sidhi (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **872वी बैठक दिनांक** 27.02.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत आवेदन, लीज स्वीकृति आदेश, अनुमोदित खनन योजना, एकल प्रमाण पत्र इत्यादि में प्रस्तावित लीज का क्षेत्र 1.50 हेक्टेयर दर्शाया गया है जबकि ग्राम पंचायत की अनापत्ति में लीज क्षेत्र 1.15 हेक्टेयर दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त लीज क्षेत्र को किस कारण कम किया गया है का उल्लेख भी ठहराव प्रस्ताव में नहीं किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र में गूगल ईमेज अनुसार परिलक्षित वृक्षों के संबंध में SEAC के समक्ष दिये गये ADS reply के साथ संलग्न स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ के आधार पर वृक्षों की संख्या 1 बताई गई है जबकि संलग्न फोटोग्राफ में दिये गये अक्षांश देशांश लीज क्षेत्र के बाहर परिलक्षित हो रहे है जहां पर कोई भी वृक्ष नहीं है। प्रकरण में प्रस्तुत स्थल निरीक्षण रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 व 2 के संबंध में जिला कलेक्टर सीधी से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि ग्राम पंचायत जमुनिहां कला द्वारा प्रस्तावित लीज क्षेत्र को किस आधार पर कम किया गया एवं प्रस्तावित लीज क्षेत्र में कितने वृक्ष है का पुनः स्थल निरीक्षण करवाकर प्रतिवेदन 15 दिवस में प्राप्त किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

10. Proposal No. SIA/MP/MIN/520274/2025, Case No. P2/2029/2025 Prior Environmental Clearance for Murrum Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 Ha. (As per SEAC recommendation minable area is 1.70 ha.), for production capacity of 10,000 M3 /year, at Khasra No. - 633,Village- Kutghan, Tehsil – Sabalgarh, District - Morena (M.P.) by Shri Avdesh Rawat, Address: Gram Kutaghan,Teshil- Sabalgarh, District - Morena (M.P.) – 476229

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **872वी बैठक दिनांक 22.02.2026 एवं 843वी बैठक दिनांक 10.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 872वी बैठक दिनांक 22.02.2026 एवं 843वी बैठक दिनांक 10.11.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना द्वारा पत्र क्र. 197 दिनांक 26.02. 2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.02.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कचरा संग्रहण शेड से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस) **सदस्य सचिव**	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) **सदस्य**	(शिव नारायण सिंह चौहान) **अध्यक्ष**

11. Proposal No. SIA/MP/MIN/520886/2025, Case No 9993/2023 Prior Environment Clearance for Flag Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 1.50 ha., For Producation Capicity of 5000 Cum per year, at Khasra No. 954, Village-Jakhoda, Tehsil-Ghatigaon, District-Gwalior (MP) by Smt. Saroj Adiwasi, R/o 188, Vilapura, Motijheel, Jigsoli, District-Gwalior (MP)-474010

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **872वी बैठक दिनांक** 22.02.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 872वी बैठक दिनांक 22.02.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा पत्र क्र. 15954 दिनांक 23.11.2022 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.11.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खाते में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(अमनबीर सिंह बैंस)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यो को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(अमनबीर सिंह बैंस)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(अगनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) **सदस्य**	(शिव नारायण सिंह चौहान) **अध्यक्ष**

12. Proposal No. SIA/MP/MIN/541968/2025 Case No. 9994/2023 Prior Environment Clearance for Iron Mine (opencast semi mechanized method), in an area - 4.705 ha., For Producation Capicity of 2,25,834 Tones per annum, at Khasra No. - 1262, Village - Panihar, Tehsil: Ghatigaon Dist. - Gwalior (M. P.) by Shri Radhey Singh, Lessee, 33-34, River view colony Morar, Gwalior Tehils Gird Dist. Gwalior (M.P.) 474006

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **872वी बैठक दिनांक 27.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण में लीज अनुबंध अनुसार उक्त लीज की अवधि दिनांक 05.04.2024 में समाप्त हो गई है। लीज नवीनीकरण के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का कोई भी पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही लीज अवधि की वैधता के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रकरण में प्रस्तुत वनमण्डलाधिकारी के पत्र 3486 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार लीज क्षेत्र वन क्षेत्र से 250 मीटर की परिधि से अधिक दूर होना बताया गया है जबकि भारत सरकार के परिवेश पोर्टल एवं PM Gatishakti पोर्टल पर वन विभाग की दी गई Layering के अनुसार प्रश्नाधीन लीज का कुछ हिस्सा वन क्षेत्र के अंदर परिलक्षित है।
3. वनमण्डलाधिकारी के पत्र 3486 दिनांक 11.05.2023 में यह भी उल्लेख किया गया है कि घाटीगांव हुकना पक्षी अभ्यारण्य लीज क्षेत्र से 3.5 किलोमीटर है जबकि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घाटीगांव हुकना पक्षी अभ्यारण्य की अधिसूचित ईको सेंसेटिव जोन की अधिसूचना के ग्रामों की सूची में प्रश्नाधीन लीज का ग्राम पनाहगर भी सम्मिलित है। अतः उक्त लीज क्षेत्र अधिसूचित ईको सेंसेटिव जोन की सीमा से कितनी दूरी पर स्थित है की जानकारी स्पष्ट नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 के संबंध में जानकारी परियोजना प्रस्तावक से एवं बिन्दु कमांक 2 व 3 के संबंध में अतः वनमण्डलाधिकारी/क्षेत्र संचालक से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त लीज क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा एवं अधिसूचित ईको सेंसेटिव जोन की सीमा से कितनी दूरी पर स्थित है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

13. Proposal No. SIA/MP/MIN/560622/2025. Case No. P2/844/2024 Prior Environment Clearance for Narayangarh Stone (Gitti) Quarry for in an area of 2.00 ha. For ProducationCapicity of30000 cum per annum at Khasra No. 538/1 Min-2 (Govt. Land), at Narayangarh, Tehsil Malhargarh& District-Mandsaur (M.P.). By Shri Rajendra Bais, Lessee, R/o- Bagicha No.13, City Road Neemuch, District- Neemuch (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **872वी बैठक दिनांक 27.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में Deemed ToR जारी किया गया है। Deemed Approval के संबंध में प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसके बावजूद भी SEAC द्वारा किस आधार पर Deemed ToR के प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि Deemed Approval से संबंधित प्रकरणों का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसके अनुसार जबतक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय नहीं होता तबतक Deemed Approval के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण पुनः SEAC को अग्रेषित किया जाये, तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

14. Proposal No. SIA/MP/MIN/520911/2025, Case No.P2/330/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine, in an area of 5.00 Hectare, For Producation Capicity of 30000 cum per annum, at Khasra No.- 801, in Village - Sadha, Tehsil - Mehgaon, District - Bhind (MP) by Shri Dinesh Kumar Pathak, M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 872वी बैठक दिनांक 27.02.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ...... Committee decided that this case cannot be recommended for grant of EC in lack of Replenishment Study. Also mines falls under cluster and it requires effective management plan as per provisions of EIA Notification 2006, paragraph 7 (III) (b).

In line of compliance of the Hon'ble Supreme Court Order it is proposed that state government must get compliance done wrt replenishment study from any reputed government institutions viz. IITs, ISM Dhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc."

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में **SEAC** ने **EC** की अनुशंसा नहीं की है। **SEAC** के अनुसार **Replenishment Study** अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने **Replenishment Study** की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में **SEIAA** के समक्ष **EC Reject** करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण **SEAC** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि **Replenishment Study** में जो खामिया है, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं **SEIAA** को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं **SEAC** में प्रस्तुतीकरण के दौरान **SEAC** द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

15. Proposal No. SIA/MP/MIN/549440/2026 Case No. P2/1439/2025 Prior Environment Clearance for Pyrophyllite and Diaspore Deposit (opencast semi mechanized method), in an area of 10.07 ha., For Producation Capicity of Pyrophyllite- 37,125 Tons per Annum & Diaspore -12,994 Tons per Annum at Khasra No. Forest Compartment No.–263, Village- Machigarh R F Tehsil- Jatara District Tikamgarh (M.P.) by Shri Ajay Pal Singh Parmar, Director, M/S Jindutt minerals Limited , 6 th KM Sagar roadDhadar, Chhatarpur (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 873वी बैठक दिनांक 06.03.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

"...... In light of above possible environmental sensitive causes viz reduction of GW recharge, changing natural drainage pattern, destroy of existing natural habitation of flora and fauna, enhance dust and noise pollution in surrounding area and slope failure etc, this case is not recommended for grant of EC."

प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 13.03.2026 के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि SEAC समिति द्वारा उठाये गये उपरोक्त बिन्दु के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC समिति के समक्ष पुनः स्पष्टीकरण/जानकारी प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि **SEAC** समिति परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः प्रस्तुत आवेदन के अनुसार परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त कर **SEAC** प्रकरण का पुनः परीक्षण कर अपने अभिमत के साथ प्राधिकरण को प्रेषित करें। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

16. Proposal No. SIA/MP/MIN/463113/2026 Case No. P2/2303/2026 Prior Environment Clearance for Stone Quarry, in an area of 1.00 Ha., For Producation Capicity of 8,835 Cubic Meter/Year at Khasra – 244/Min-1, Village – Eri, Tehsil-shamgrah, District -Mandsaur (M.P) by Smt. Bhawana Kalra, Owner, 57/2, Panjabi Colony Shamgarh, Tehsil Shamgarh,Mandsaur (M.P.) 458883

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 873वी बैठक दिनांक 06.03.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ------ In the light of above order of the DGM, Bhopal it is self explanatory that the lease sanctiond order is not valid hence this case is not considered for grant of prior Environmental Clearance.."

प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 07.04.2026 के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि SEAC समिति द्वारा उठाये गये उपरोक्त बिन्दु के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC समिति के समक्ष पुनः स्पष्टीकरण/जानकारी प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC समिति परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः प्रस्तुत आवेदन के अनुसार परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त कर SEAC प्रकरण का पुनः परीक्षण कर अपने अभिमत के साथ प्राधिकरण को प्रेषित करें। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

17. **Proposal No. SIA/MP/MIN/562816/2026 Case No. 2301/2026 Prior Environment Clearance Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of – 1.850 Ha, For Producation Capicity of Stone – 10,000 Cubic Meter/Year & M-Sand -10,000 Cubic Meter/Year, Khasra – 221/1/1, Village – Teliya Dhad, Tehsil – Khaknar, District - Burhanpur (M.P). By Shri Nirmal Kumar Bhallavi, Owner, Ward No. 35, Priyakhal, District Hard (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **873वी बैठक दिनांक 06.03.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 873वी बैठक दिनांक 06.03.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर द्वारा पत्र क्र. 482 दिनांक 18.07.2025 एवं अनुमोदित खनन योजना अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 17.07.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(अमनबीर सिंह बैंस)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

18. **Proposal No. SIA/MP/IND2/555883/2025; Case No. P2/8380/2021: Prior Environment Clearance for Capacity Expansion from Fuel Ethanol for 45 KLPD on C Molasses / 65 KLPD on B Molasses / 75 KLPD on Cane Juice or Syrup/ & 110 on Grain Base Operation to Fuel Ethanol for 45 KLPD on C Molasses / 65 KLPD on B Molasses / 75 KLPD on Cane Juice or Syrup/ & 200 on Grain Base Operation (By Product: Recoverable CO2 of 90 TPD & 125 TPD of DDGS). at Khasra No. 212, 213, 214/1, 214/2, 216,217 Village - Ghatwa, Tehsil- Thikri Dist. Barwani (M.P.) – 451660. Total Land Area: 135 acres by Shri Rishabh Goyal, Mekalsuta Sugars Private Ltd, Village-Ghatwa, Tehsil – Thikri, Distt. - BARWANI (M.P.) - 475660.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 866वी बैठक दिनांक 05.02.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वाराऑनलाईन परिवेश **पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों** के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. प्रकरण M/s Mekalsuta Sugars Private Limited द्वारा स्थापित पूर्व ईंधन एथेनॉल उत्पादन इकाई खसरा क्रमांक 212, 213, 214/1, 214/2, 216, 217 ग्राम घाटवा, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी (म.प्र.) में स्थित की क्षमता विस्तार हेतु श्री ऋषभ गोयल (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है। परियोजना का कुल भूमि क्षेत्रफल 135 एकड़ है।
2. परियोजना में C मोलासेस पर आधारित 45 KLPD, B मोलासेस पर आधारित 65 KLPD, गन्ना रस/सिरप पर आधारित 75 KLPD तथा अनाज आधारित संचालन 110 KLPD से बढ़ाकर अनाज आधारित क्षमता 200 KLPD प्रस्तावित है। परियोजना से उप–उत्पाद के रूप में रिकवरेबल CO_2 (90 TPD) एवं DDGS (ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन सॉल्यूबल) 125 TPD प्राप्त होगा।
3. यह परियोजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना S.O.1533 (E)दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अंतर्गत श्रेणी 5(g) Distilleries की श्रेणी 'B' के अंतर्गत शामिल है।
4. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति(SEAC)की866वी बैठक दिनांक 05.02.2026 में "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 1 से 15 तक अंकित है।
5. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

S. N	Projects Details	
1.	**Proposal / Description of Project**	Mekalsuta Sugars Private LtdCapacity Expansion from Fuel Ethanol for 45 KLPD on C Molasses / 65 KLPD on B Molasses/ 75 KLPD on Cane Juice or Syrup/ & 110 on Grain Base Operation to Fuel Ethanol for 45 KLPD on C Molasses / 65 KLPD on B Molasses / 75 KLPD on Cane Juice or Syrup/ & 200 on Grain Base Operation.
2.	**Project Proposal For**	Expanssion,
3.	**ToR Status**	➢ ToR Identification No. :TO25B2502MP5827357N. ➢ File No.: 8380/2021. ➢ Proposal Number: SIA/MP/IND2/534505
4.	**Details of Products & By-products.**	

Name of the product /Byproduct	Product / Byproduct	Existing	Proposed	Total	Unit	Mode of Transport / Transmission	Remarks (eg. CAS number)
C Molasses	Product	45	0	45	KLPD	Road	45 KLPD on C Molasses
B Molasses	Product	65	0	65	KLPD	Road	65 KLPD on B Molasses
CO2	By-Product	45	90	135	TPD	Road	By Product: Recoverable CO2 of 45 TPD to 90 TPD
DDGS	Product	70	125	195	TPD	Road	70 TPD of DDGS to 125 TPD of DDGS
Grain Base	Product	110	200	310	KLD	Road	The present proposal is increasing the production capacity of grain base operation from 110 KLD to 200KLD.
Cane juice or syrup	Product	75	0	75	KLPD	Road	75 KLPD on Cane Juice or Syrup

(अमनबीर सिंह बैंस)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

5.	SPCB Comments/CTE details. PCB ID: 10725, Consent No:CTE-61745, Outward No:-122150,11/02/2025, Consent to Establish-Expansion up to 31/01/2030.	

Product	Production Capacity/Year before Expansion.	Production Capacity/Year after Expansion.
Cane Crushing	2500 TPD	2500 TPD
Fuel Ethanol	45 KLD* on C Molasses; or 65 KLD* on B Molasses; or 75 KLD* on Cane Juice or Syrup; or 75 KLD* on Grain (Maize/Broken rice etc.)	45 KLD* on C Molasses; or 65 KLD* on B Molasses; or 75 KLD* on Cane Juice or Syrup; or 110 KLD* on Grain (Maize/Broken rice etc.)
CO2	-	45 TPD
DDGS	-	70 TPD
Co-Generation Power Plant	-	4 MWH

6.	Land Documents details.	Sub Registrar office, Rajpur Distt. – Barwani (M.P.) dated 29/10/2020.
7.	Previous EC issued	MPSEIAA Issue date 1077 dt.1.6.2021
8.	Certified Compliance Report(CCR).	File No. 18-B-229/2024(SEAC) Date 10/07/2024.
9.	Water Supply NoC details.	Agreement (WRD, Division –Barwani).
10.	Environment Consultant	Shri Umesh Mishra, M/e Creative Enviro Services- Bhopal (M.P.).

Salient Features of Proposed Project			
Particular	Fuel Ethanol for 45 KLPD on C Molasses / 65 KLPD on B Molasses / 75 KLPD on Cane Juice or Syrup/ & 110 on Grain Base Operation	Fuel Ethanol for 45 KLPD on C Molasses / 65 KLPD on B Molasses / 75 KLPD on Cane Juice or Syrup/ & 90 on Grain Base Operation	Fuel Ethanol for 45 KLPD on C Molasses / 65 KLPD on B Molasses / 75 KLPD on Cane Juice or Syrup/ & 200 on Grain Base Operation
Site Address	Village- Ghatwa, Tehsil- Thikri, Dist.Barwani, (MP)		
Products and Production Capacity	Fuel Ethanol, Fusel Oil, DDGS, CO2		
No. of operation days	300		

(अमनबीर सिंह बैंस)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

Cost of Project	41.16 Cr	45 Cr	86.16 Cr
Grain Requirement	286 TPD	235 TPD	525 TPD
Molasses Requirement	215 TPD	NA	215 TPD
Boiler capacity at MCR (100% Load)	35 Used for Sugar Plant	27 New for 200 KLPD Ethanol Plant	27 New for 200 KLPD Ethanol Plant with ESP
Steam Requirement	465 TPD	385 TPD	850 TPD
Fuel	Bagasse	Bagasse, Coal	Baggasse and Coal (20%)
Salient Features of Proposed Project			
Net fresh Water Requirement	453 – C Molasses 615 – B Molasses 310 – Syrup 430 - Grain	453 – C Molasses 615 – B Molasses 310 – Syrup 330 - Grain	453 – C Molasses 615 – B Molasses 310 – Syrup 760 - Grain
Source of water supply	River or reservoir	River	
Raw Spent wash Generation (Molasses)	550 TPD	NA	550 TPD
Raw Spent wash Generation (Grain)	670 TPD	550 TPD	1220TPD
Power Requirement	1400 KWH	1700 KWH(800 KWH)	2200 KWH
Capacity of Co Gen Plant	3MW	4MW (NEW TURBINE)	3+4 MW
Details of DG sets	125kva, 350kva, 500kva	NA	125kva, 350kva, 500kva
Effluent Treatment System for Grain	Decantation followed by DDGS Dryer and CPU Unit	Decantation followed by DDGS Dryer and CPU Unit	

(अमनबीर सिंह बैंस)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

Quantity of DDGS Generation	70 TPD	55 TPD	125 TPD
Quantity of coal ash generation	NA	13 TPD (when coal will be used as axillary fuel @ 20%) 36 TPD(when coal will be used (@ 100 %)	13 TPD (when coal will be used as axillary fuel @ 20%) 36 TPD (when coal will be used (@ 100 %)

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा **ADS reply** के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति **(SEAC)** की **866**वी बैठक दिनांक **05.02.2026** की अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)**की **946**वीं बैठक दिनांक **17.04.2026** में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से, मानक शर्तों एवं निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना प्रस्तावक को **EIA** अधिसूचना **2006** एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

Specific Conditions as recommended by SEIAA

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना से उत्पन्न समस्त ठोस एवं द्रव अपशिष्ट का निपटान निर्धारित नियमों एवं दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट (Solid Waste) एवं अतिरिक्त शोधनित अपशिष्ट जल (Extra Teated Waste Water) का निस्तारण नहीं किया जाएगा। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना प्रारंभ करने के पूर्व प्राधिकरण के समक्ष शपथ पत्र **(Affidavit)** प्रस्तुत किया जाए।
2. **Waste Water Disposal:**
   a. Industry shall install Multi Effective Evaporator (MEE) and adequate ETP for treatment and disposal of effluent. Zero discharge shall be maintained.
   b. The process condensate, boiler blow down, cooling tower blow down, spent lees after cooling should be treated in condensate polishing unit.
   c. Spent wash should be stored in MS/SS tank. The storage of spent wash shall not exceed 5 days capacity.
   d. Process effluent/any waste water should not be allowed to mix with storm water. Storm water drain should be passed through guard pond.

(अमनबीर सिंह बैंस)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3. Solid & hazardous waste :-

a. PP should obtain authorization from MPPCB regarding hazardous waste disposal. PP should ensure disposal of hazardous waste/ by products regularly through sale or in TSDF site and there should be no dumping of these materials in the premises/outside. PP should also ensure handling, disposal and management of hazardous waste as per the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

b. Other solid waste generated from the process shall be used as cattle-feed. Industry shall explore the possibility to make it available to the local farmers.

4. Air Pollution Control measures :

a. PP should provide fogging system for dust suppression.
b. PP should ensure installation of DG sets with canopy and the stack height should be as per the MPPCB norms.
c. PP should install continuous air quality monitoring station in coordination with MPPCB.
d. Industry shall install bag-house in boiler to maintain the emission level of particulate matter as per MPPCB/CPCB prescribed norms.
e. Boiler ash shall be stored separately as per CPCB guidelines So that it shall not adversely affect the air quality, becoming air borne by wind or water regime during rainy season by flowing along with storm water.
f. Bagasse ash and coal ash should be stored separately and reuse/recycle properly.

5. Noise & Odor Environment & Management

a. Walls and ceilings of the concerned buildings should be lined with sound absorbing materials.
b. Noise attenuating devices like ear plugs and ear muffs should be provided to the workers exposed to high noise level.
c. Use of efficient biocides to control bacterial contamination.
d. Control of temperature during fermentation to avoid in-activation / killing of yeast.
e. Regular use of bleaching powder in the drains to avoid growth of putrefying micro-organisms.
f. Closed operation of the process to avoid odour nuisance.

6. Disaster management:

a. Prepare the onsite & offsite risk / disaster management plan, health and safety management plan and duly approved by the Competent Authority.

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

b. Fire fighting system shall be as per the norms and cover all areas where alcohol is produced, handled and stored. Provision of foam system for firefighting shall be made to control fire from made to control fire from the alcohol storage tank. DMP shall be implemented.

7. **Green Area :-**

   a. Every effort should be made to conserve the existing trees in the project area.
   b. Dense plantation shall be taken up in at least 33% of total plot area.

8. PP should ensure maintenance of CO2 generated during process.

9. Dedicated parking facility for loading and unloading of materials shall be provided in the factory premises. Unit shall develop the implement good traffic management system for their incoming and outgoing vehicles to avoid congestion on the public road.

(अमनबीर सिंह बैंस)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

19. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/550160/2025; Case No. – P2/1695/2025: Prior Environmental Clearance for Enviro Biocare Waste Management Services (EBWMS) At Plot No. 55 Hatod Industrial Area Village- Hatod Tehsil Sardarpur Dist Dhar (M.P.) , CBWTF with capacity 200kg/hr, Plot Area - 4200 Sq. mt. by Shri Shreyansh Mandloi, Partner, 70, Silver Hills, Behind ICICI Bank, Dhar, Distt. Dhar(M.P.)- 454001.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 865वी बैठक दिनांक 03.02.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वाराऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

i. उपरोक्त विषयांकित प्रकरण Enviro Biocare Waste Management Services (EBWMS) द्वारा ग्राम हातोद, तहसील सरदारपुर, जिला धार (मध्य प्रदेश) में स्थित प्लॉट क्रमांक 55, हातोद औद्योगिक क्षेत्र में सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के लिए प्रस्तावित 200 किलोग्राम प्रतिघंटे की क्षमता वाले Common Bio-Medical Waste Treatment Facility इकाई की स्थापना हेतु श्री श्रेयांश मांडलोई, पार्टनर, 70, सिल्वर हिल्स, आईसीआईसीआई बैंक के पीछे, धार, जिला धार (म.प्र.) 454001 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।

ii. उक्त प्रकरण ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के यथासंशोधित अधिसूचना दिनांक 17.04. 2015 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजना के अंतर्गत 7 (da) में सम्मिलित किया गया है।

iii. SEAC की 865वी बैठक दिनांक 03.02.2026 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 57 से 66 पर अंकित है।

iv. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

SN	Projects Details	
1.	**Name of the Project/ Activity Name**	Prior Environmental Clearance for Enviro Biocare Waste Management Services (EBWMS) At Plot No. 55 Hatod Industrial Area Village- Hatod Tehsil Sardarpur Dist Dhar (M.P.) , CBWTF with capacity 200kg/hr, Plot Area - 4200 Sq. mt. by Shri Shreyansh Mandloi, Partner, 70, Silver Hills, Behind ICICI Bank, Dhar, Distt. – Dhar(M.P.)
2.	**Letter of Intent (LOI).**	MP Industrial Development Corporation Ltd. Indore Application Number: 1020312101149 Dated: 08/11/2024.
3.	**Project Cost**	250 Laks.

(अमनबीर सिंह बैंस)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

4.	**Description of Project.**	M/s Enviro Biocare proposes to operate CBWT facility having capacity of 200 kg per hour's static dry static scrubbing incinerator with auto clave and shredder at Plot no. 55 Hatod Industrial area, Tehsil Sardarpur, Dist-Dhar (MP). A Common Bio-medical Waste Treatment Facility (CBWTF) is a set up where bio-medical waste, generated from a number of healthcare units, is suitably treated to reduce adverse effects that this waste may pose. The treated waste may finally be sent for disposal in a secured landfill or for recycling purposes.
5.	**ToR Application Status**	(Case No- P2/1695/2025). ToR Proposal No. SIA/MP/INFRA2/542713/2025. ToR Issued vide no TO25B3301MP5735051N dt. 08/07/2025.
6.	**Coordinates details.**	1. Latitude: 22°36'59.38"N Longitude: 75°3'49.68"E 2. Latitude: 22°36'59.38"N Longitude:75°3'50.33"E 3. Latitude: 22°37'0.46"N Longitude: 75°3'51.41"E 4. Latitude: 22°37'1.10"N Longitude: 75°3'49.38"E
7.	**Plot Area details**	4200 sqmtrs.
8.	**Production Capacity-**	Common Bio-Medical Waste Treatment Facility : SN | Name of Product | No. | Capacity 1. | Incinerator | 01 | 200 kg/hr 2. | Autoclave | 01 | 560liter/batch 3. | Shredder | 01 | 100 kg/hr
9.	**ETP Capacity**	ETP Capacity – 10 KLD.
10.	**Water Requirement**	8 KLD. Source of water-Water tankers / MPIDC.
11.	**Power Requirement**	58.5 KVA.
12.	**Type of Area**	Hatod Industrial Area.
13.	**EE, PWD/Tehsildar /SDO Certificate**	EE PWD Department letter issued letter No. 589 dated 14/02/2025 (Pitol Check point – 80 km distance Gujrat State distance reported).
14.	**DFO NOC**	DFO office issued Online letter No. DHAR202502040281987 dated 04-02-2025.
15.	**SPCB Comments CTO/CTE**	PCB ID: 168124, Consent No:CTE-62585, Outward No:123262,25/07/2025, Consent to Establish up to 30/06/2030. Common Bio-Medical Waste Treatment Facility (Incinerator 01 nos - 200 kg/hr, Autoclave 01 no- 560 liter/batch- 560 liter/batch, Shredder 01 nos- 100 kg/hr).

(अमनबीर सिंह बैंस)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

16.	**Env. Con.**	Environmental Consultant Shri Umesh Mishra, Co-ordinator M/s. Visiontek Consultancy Services Pvt. Ltd., Bhubaneswar, Khurda (Orisha).

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा **ADS reply** के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति **(SEAC)** की **865**वी बैठक दिनांक **03.02.2026** की अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)**की **946**वीं बैठक दिनांक **17.04.2026** में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तो,मानक शर्तो(परिशिष्ट–1) के साथ निम्न बिंदु **i** स **xxv** को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को **EIA** अधिसूचना **2006** एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

Specific Conditions as recommended by SEIAA

i) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना से उत्पन्न समस्त ठोस एवं द्रव अपशिष्ट का निपटान निर्धारित नियमों एवं दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट (Solid Waste) एवं अतिरिक्त शोधनित अपशिष्ट जल (Extra Teated Waste Water) का निस्तारण नहीं किया जाएगा। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना प्रारंभ करने के पूर्व प्राधिकरण के समक्ष शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।**

ii) जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2016 के संशोधित प्रावधानों और समय–समय पर सीपीसीबी द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा।

iii) **Stack emission norms, online continuous emission monitoring system (OCEMS)** स्थापित किया जाए।

iv) **No overflow/mixing of municipal waste with biomedical waste.**

v) **BMW** प्रबंधन से संबंधित 6 मासिक रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनिवार्यतः प्रस्तुत की जाए।

vi) संयंत्र संचालन के दौरान तापमान, दबाव एवं उत्सर्जन के स्तरों की नियमित निगरानी की जाएगी तथा रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएंगे, जिससे आवश्यकता पड़ने पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराए जा सकें।

vii) नियमित अंतराल पर ड्रेन वॉल्व की सफाई की जाए तथा संपूर्ण पाइपलाइन एवं कनेक्शन में किसी भी प्रकार के लीकेज की जांच कर आवश्यक मरम्मत सुनिश्चित की जाए।

viii) सभी वॉल्व, प्रेशर गेज एवं संबंधित मॉनिटरिंग उपकरणों का कम से कम प्रत्येक 6 माह में एक बार अधिकृत एजेंसी द्वारा कैलिब्रेशन किया जाए और उसका रिकॉर्ड परियोजना स्थल पर सुरक्षित रखा जाए।

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

ix) परियोजना स्थल पर फायर सेफ्टी प्रणाली एवं स्पिल मैनेजमेंट प्लान आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहें तथा इनके संचालन, रखरखाव एवं नियमित निरीक्षण की जिम्मेदारी परियोजना प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

x) प्लांट के चारों ओर तीन कतार में सघन वृक्षारोपण किया जावें।

xi) प्लांट के सामने रोड पर किसी भी प्रकार का परिवहन प्रभाव, प्लांट गतिविधियों द्वारा न पड़े।

xii) प्लांट हेतु जैव अपशिष्ट के परिवहन में संपूर्ण सावधानी रखी जाए एवं पर्यावरण नियमों का पालन कड़ाई से किया जावें।

xiii) जैव अपशिष्ट के एकत्रीकरण एवं निष्पादन 48 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से किया जावें।

xiv) **CBWTF** का कार्य़क्षेत्र का निर्धारण MPPCB द्वारा किया जावेगा जो कि बंधनकारी होगा।

xv) अपशिष्ट की राख एवं ETPके बीच का अंतिम निष्पादन प्राधिकृत **TSDF** में ही किया जावेगा। जिसका लेखा भी रखा जावेगा। परिवाहन एवं निष्पादन की सूचना **MPPCB** को दी जावेगी।

xvi) प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए रोड़ साईट **Incinerator** एवं चिमनी की ओर बाउण्ड्रीवाल की ऊॅंचाई पर्याप्त रखी जावे।

xvii) **ETP** के पर्यवेक्षण हेतु पृथक से विद्युत मीटर की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाये।

xviii) परियोजना स्थल का रोड़ समीपस्थ होने के कारण यदि आवश्यक हो तो, चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर से अधिक रखी जाये।

xix) पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन के अनुसार दुर्गंध निवारण एवं नियंत्रण हेतु प्रस्तावित उपायों का पालन अनिवार्यतः किया जावे, साथ ही दुर्गंध के निवारण हेतु सक्षम नियंत्रण उन्नत तकनीकी से किया जाये।

xx) परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना इकाई में **Zero Liquied Discharge** के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सतत् अनिवार्य है।

xxi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं का परिपालन जिला प्रशासन एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शन एवं समन्वय में अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जावे।

xxii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार की जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण) द्वारा अधिसूचना दिनांक 24.09.2020 में भूजल दोहन हेतु निहित प्रावधान अनुसार निर्माण कार्य के पूर्व अनिवार्यतः अनुज्ञा प्राप्त की जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

xxiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यस्थल पर इंसीनेटर के तापमान का डिस्प्ले कर उक्त तापमान का रिकार्ड अद्यतन रखा जावेगा।

xxiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा CBWTFसे उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ठ, वेस्ट वाटर ट्रीटमेन्ट से उत्सर्जित स्लज को मिलाकर अपवहन TSDF के माध्यम से किया जाये। परिसर में किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ठ का भण्डारण एवं उसका भूमि के अंदर अनिवार्यतः नहीं डाला जावे।

xxv) प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

20. Proposal No. SIA/MP/MIN/554470/2025, Case No. P2/2038/2025 Prior Environment Clearance for Laterite Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha, Producation Capicity of 75002 Tons per Annum, at Khasra No. 509 & 510) Village-Chhattarpur, Tehsil Panagar, District Jabalpur (M.P.) by Shree anandjanak Swaroop minerals and logistics company, Shri Arun Chopra, Partner and Authorized Signatory, Oposit Lenord College Civil Lines, FLat-103, sigma Gold,Opposite Old RTO,South Civil Lines, jabalpurMadhya Pradesh, 482001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **844वी बैठक दिनांक 14.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 927वी बैठक दिनांक 07.01.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान में काफी संख्या में पेड़ दिखाई दे रहे है एवं पास में कई स्ट्रक्चर भी परिलक्षित है। खदान क्षेत्र में कुल कितने पेड़ है, पेड़ों के संरक्षण, पेड़ों को काटने एवं उनके एवज में 10 गुना वृक्षारोपण (Compensatory Plantation) का प्लान वनमण्डला अधिकारी से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाये एवं पास में स्थित स्ट्रक्चर्स के संबंध में भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।'

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 11.03.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 844वी बैठक दिनांक 14.11.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02. 2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 2231–32 दिनांक 06.02. 2025 के माध्यम से 30 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.02.2055 तक वैध मान्य रहेगी।

(अमनबीर सिंह बैंस)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त जबलपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 07/01/2024 की अनुशंसा अनुसार** वन सीमा क्षेत्र की ओर निर्धारित दूरी छोड़ते हुए वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेचिंग कार्य करेगा एवं वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा **तथा अन्य सभी शर्तों का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 50 वृक्षों के काटे जाने के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 500 पौधों का रोपण किया जायेगा व संरक्षण हेतु टी गार्ड लगाये जाये। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा एवं वृक्षों के काटने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय WP no. 17144/2024 एवं WP no. 42565 /2025 में पारित आदेश का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(अमनबीर सिंह बैंस) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 946वी बैठक दिनांक - 17.04.2026 का कार्यवाही विवरण

21. **Proposal No.SIA/MP/MIN/558073/2025, P2/2146/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.0 ha. for Production Capacity of Stone 5,700 Cum/Year, at Khasra No. – 486/1/1/1/1, Village-Ringrod, Tehsil-Jaora, District- Ratlam (M.P.) by M/s S.S. Industries, Shri Sanjeev Kumar Jain, Proprietor, R/o41, arithant colony, pahadiya road, District- Ratman (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **858वी बैठक दिनांक 08.01.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट--ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 936वी बैठक दिनांक 09.02.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र अनुसार 500 मीटर की परिधि में गिट्टी पत्थर की 02 खदान रकबा 3.5 हेक्टेयर की स्वीकृत/संचालित होने का उल्लेख किया गया है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार PM Gatishakti Portal पर खनिज विभाग द्वारा अपलोड डाटा एवं गूगल ईमेज के आधार पर 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान श्री संजीव जैन रकबा 2.0 हेक्टेयर, रघुवीर सिंह रानावत रकबा 1.5 हेक्टेयर एवं श्रीमती आरती रारौटिया रकबा 2.0 हेक्टेयर स्वीकृत/संचालित है जिसको मिलाकर कुल रकबा 6.50 हेक्टेयर होता है अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी में आता है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर रतलाम प्रश्नाधीन खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की स्थल निरीक्षण उपरांत वस्तुस्थिति 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।'

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 13.03.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 858वी बैठक दिनांक 08.01.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02. 2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम द्वारा पत्र क्र. 1413 दिनांक 04.10. 2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 03.10.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

22. **Proposal No. SIA/MP/MIN/534275/2025, Case No P2/1778/2025 Prior Environment Clearance for Dolomite Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 1.720 ha. for Production of Capicity 50,000 TPA at Khasra No. 152 Village: Bawli, Tehsil: Kurai, District: Seoni (M.P.) by Shri Nirmala Thakur, R/o Shastri Ward Barapathar, District Seoni (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **868वी बैठक दिनांक** 10.02.2026 एवं **747वी बैठक दिनांक 02.05.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 943वी बैठक दिनांक 13.03.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक को उक्त लीज वर्ष 1995 से स्वीकृत होकर संचालित है जो कि वन क्षेत्र (RF 334) की सीमा से 34 मीटर की दूरी पर स्थित है जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किये गये आवेदन के साथ वन विभाग का पत्र क्र. एफ 5/16/81/10–3 दिनांक 07.10.2002 संलग्न कर लेख किया गया है कि पूर्व से स्वीकृत खदानों पर संभागीय आयुक्त की अनुशंसा अनिवार्य नहीं है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदन दिनांक 20.06.2025 को किया गया है जिसके दृष्टिगत वर्तमान नियमानुसार संभागीय आयुक्त की अनुशंसा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र से 250 मीटर की परिधि के अंदर स्थित वन क्षेत्र के संबंध में संभागीय आयुक्त जबलपुर की अनुशंसा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जावेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।'

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 13.03.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत पाया गया कि उक्त प्रकरण में प्रथम लीज दिनांक 22.12.1995 से 21.12.2015 तक स्वीकृत थी जिसे कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी द्वारा पत्र क्र. 2666 दिनांक 03.03.2017 के माध्यम से 50 वर्ष दिनांक 21.12.2045 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी शर्त कमांक 1 में नवीन लीज अनुबंध करवाये जाने की शर्त अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण लीज नवीनीकरण है। अतः प्राधिकरण के पूर्व निर्णयानुसार वन क्षेत्र 250 मीटर की परिधि के अंदर होने के कारण संभागीय आयुक्त की अनुशंसा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परयोनजा प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

23. **Proposal No.SIA/MP/MIN/470553/2025, Case No P2/1581/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.80 ha. for production capacity of 12000 cum per year, at Khasra Number- 75/1/2, Village Rangwasa Tehsil Depalpur, District Indore (M.P.) by Rashmi Mishra, Partner, Shree Prem Infrastructure, R/O-101/ I Block, Ocean Park Nipania Indore M.P.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **844वी बैठक दिनांक 14.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 928वी बैठक दिनांक 12.01.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत ऑनलाईन फार्म में मेसर्स श्री प्रेम इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर श्रीमती रश्मि मिश्रा के नाम से आवेदन किया गया है जबकि फार्म के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों में पार्टनर श्री अनिल कुमार मिश्रा द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। प्राधिकरण द्वारा जब पार्टनरशिप डीड का परीक्षण किया गया तो पाया गया कि पार्टनरशिप डीड में श्री अनिल कुमार मिश्रा तो मेसर्स श्री प्रेम इन्फ्रास्ट्रक्चर में पार्टनर है ही नहीं बल्कि उनकी पत्नि श्रीमती रश्मि मिश्रा 50 प्रतिशत की पार्टनर है। जब श्री अनिल कुमार मिश्रा मेसर्स श्री प्रेम इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी में पार्टनर है ही नहीं तो द्वारा उनके द्वारा किस पार्टनर की हैसियत से सभी दस्तावेजों में हस्ताक्षर किये गये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक स्पष्टीकरण 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।'

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 14.03.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 844वी बैठक दिनांक 14.11.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर द्वारा पत्र क्र. 02 दिनांक 05.01.2018 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 04.01.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(अमनबीर सिंह बैंस) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

कॉमन बायोमेडिकल बेस्ट ट्रीटमेन्ट की विशिष्ट शर्तें:

1. This EC will be subject to the establishment criteria to be decided by the MPPCB.
2. Proponent shall strictly comply the design criteria for incinerator, autoclave, shredder and all other requirements as per CPCB guidelines.
3. ZLD status shall be maintained all the time.
4. PP should ensure to implement the need base activities under CER in consultation with district administration/village panchayat.
5. This environmental clearance is issued subject to implementation of online air monitoring facility equipment, waste water management odour management and noise management system. PP should ensure to efficiency of the pollution control measurement should not be less than 99%.
6. PP to include carbon foot print in the Environmental Monitoring and set targets for reduction of their footprint in the management systems.
7. PP will take prior permission of MPPCB for establishing CBWTF at the site in reference to revised guideline of CPCB-2016 for CBWTF before installation.
8. Compliance of all the directions / Judgment issued by NGT or other Courts shall be binding on part of the PP
9. PP should install adequate ETP for treatment and disposal of effluent and Zero discharge should be maintained.
10. Process effluent/any waste water should not be allowed to mix with storm water.
11. Guidelines of CPCB/MPPCB for Bio-Medical Waste Common Hazardous Wastes Incinerators shall be followed.
12. No landfill site is allowed within the CBWTF site.
13. Ecosorb (organic and biodegradable chemical) and alumina will be used around odor generation areas at regular intervals for dilution of odorant by odor counteraction or neutralize.

14. PP will ensure to use only non chlorinated bags for handling and storing bio medical waste. In any case, PP is not allowed to use poly and plastic bags.
15. All safety measures will be strictly followed by workers for handling of Bio medical waste bags during storage and feeding at incinerator to prevent health hazards.
16. Incinerator should be properly interlocked with venture scrubber to control air pollution.
17. Incinerated ash and ETP sludge shall be disposed at approved TSDF and MoU made in this regard should be done prior to the commencement.
18. Color coding for handling waste be strictly followed as per BMW Rules 2016.
19. PP should ensure the rain water harvesting by providing of recharging pits. In addition, PP should provide recharging trenches. The base of the trenches should be Kachha with pebbles.
20. PP will install continuous online monitoring system to monitor the emissions from the stack. Periodical air quality monitoring in and around the site shall be carried out. The parameters shall include Dioxin and furan.
21. Proper Parking facility should be provided for employees & transport used for collection & disposal of waste materials.
22. Necessary provision shall be made for fire fighting facilities within the complex.
23. PP should carryout periodical air quality monitoring in and around the site including VOC, HC.
24. PP shall ensure to conduct quarterly health check up of workers working in the plant.
25. PP will construct garland drain of appropriate size and settling tank with stone pitching all around the plant premises.
26. PP should develop 5 m green belt all along the periphery of the species that are significant and used for the pollution abatement. Besides this, PP will explore the possibility to develop dense green belt by planting thick foliage trees.

27. Incineration plants shall be operated (combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, so as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the slag and bottom ashes less than 3%, or their loss on ignition is less than 5% of the dry weight of the material.

28. The proponent should ensure that the project fulfills all the provisions of Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008 including collection and transportation design etc and also guidelines for Common Hazardous Waste Incineration - 2005, issued by CPCB..

29. The Leachate from the facility shall be collected and treated to meet the prescribed standards before disposal.

30. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures, and other energy efficient plant machineries and equipments.

31. The containers should be covered during transportation in order to prevent exposure of public to odors and contamination.

32. PP should have two storage rooms separately for treated and untreated waste.

33. PP should ensure the traffic movement plan, parking facilities and road width.

34. PP should develop green belt at least minimum of 33% in plant premises as per CPCB guidelines with native species/Pollution absorbing species.

35. All the recommendations, mitigation measures,environmental protection measures and safeguards proposed in the EIA report of the project submitted by project proponent vide commitments made during presentation before SEAC and proposed in the EIA report shall be strictly adhered to in letter and spirit.

36. The unit shall strictly comply with CPCB guidelines for setting up the common biomedical waste treatment facility.